"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 24] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 12 जून 2009—ज्येष्ठ 22, शक 1931

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 1 जून 2009

क्रमांक एफ 8-3/2009/1/5.— राज्य शासन, एतद्द्वारा श्री अशोक जुनेजा (भारतीय पुलिस सेवा) सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, रायपुर की सेवाएं गृह विभाग से लेते हुए उन्हें कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली के रिक्त पद पर पदस्थ करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2009.

रायपुर, दिनांक 14 मई 2009

क्रमांक 488/429/2009/1-8/स्था.— श्रीमती रेजीना टोप्पो, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 18-5-2009 से 30-5-2009 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेजीना टोप्पो को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेजीना टोप्पो अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2009

क्रमांक 524/492/2009/1-8/स्था.— श्री एस. के. चक्रवर्ती, उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1-6-2009 से 12-6-2009 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. के. चक्रवर्ती को उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. के. चक्रवर्ती अवकाश पर नहीं जाते तो उप सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2009

क्रमांक 526/532/2009/1-8/स्था.— श्री अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग को दिनांक 8-6-2009 से 12-6-2009 तक 05 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत करते हुए विदेश (सिंगापुर) जाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री अनिल टुटेजा को संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल टुटेजा अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 554/546/2009/1-8/स्था.— श्री एस. बी. काले, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग को दिनांक 1-6-2009 से 6-6-2009 तक 06 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. काले को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. बी. काले अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 556/523/2009/1-8/स्था.— **श्रीमती बिबियाना तिर्की, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 25-5-2009 से 6-6-2009 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.**

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती बिबियाना तिर्की को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बिबियाना तिर्की अवकाश पर नहीं जातीं तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करती रहतीं.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 560/515/2009/1-8/स्था.— श्री जी. आर. मालवीय, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग को दिनांक 18-5-2009 से 30-5-2009 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री जी. आर. मालवीय को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. आर. मालवीय अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 01 जून 2009

क्रमांक एफ 1-51/2008/42-पार्ट.—राज्य शासन द्वारा डॉ. भगवंत सिंह, विभागाध्यक्ष, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की सेवायें उच्च शिक्षा विभाग से प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, भिलाई का कुल सचिव नियुक्ति किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नारायण सिंह, सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 मई 2009

क्रमांक एफ 1-3/2009/16.—भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम-2 के उप नियम (g) तथा (f) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रम विभाग के अधीन कार्यरत समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम पदाधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार के भीतर, भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 (1996 का 28) के अंतर्गत उपकर निर्धारण अधिकारी (Assessing Officer) तथा उपकर संग्राहक (Cess Collector) नियुक्त करता है.

रायपुर, दिनांक 26 मई 2009

क्रमांक एफ 10-1/2006/16.—छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2008 के अंतर्गत पूर्व में जारी समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 22-12-2008 को अधिक्रमित करते हुए भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 के संख्यांक 27) की धारा 42 की उपधारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा श्रमायुक्त, छ. ग. को अधिनियम के प्रयोजनार्थ मुख्य निरीक्षक नियुक्त करता है.

2. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 के संख्यांक 27) की धारा 6 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा समस्त सहायक श्रमायुक्तों तथा श्रम पदाधिकारियों को इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ उनके क्षेत्राधिकारिता में पंजीयन अधिकारी नियुक्त करता है.

3. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम 1996 (1996 के संख्यांक 27) की धारा 42 की उपधारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस अधिनियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन एतद्द्वारा समस्त श्रम निरीक्षकों को उनके क्षेत्राधिकारिता में निरीक्षक नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग लाल, उप-सचिव.

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक/1710/एफ-14/48/2007/14-2.—छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा, अम्बिकापुर जिला सरगुजा के अंतर्गत मण्डी क्षेत्र के निम्नांकित स्थान पर बने कोई संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से उपमण्डी प्रांगण घोषित करती है, अर्थात् :—

स्थान

सरगुजा जिले की तहसील में मेण्ड्राकला (अम्बिकापुर) ग्राम के राजस्व प्लाट क्रमांक 120/1 की 2.88 हेक्टेयर भूमि का क्षेत्र.

सीमाएं

उत्तर में - श्री धनीराम का मकान.
दक्षिण में - सिंचाई विभाग का नहर.
पूर्व में - शासकीय भूमि.
पश्चिम में - मुर्धवापारा, ग्राम-मेण्ड्राकला.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक/1710/एफ-14/48/2007/14-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 मई, 2009 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, उप-सचिव.

Raipur, the 25th May 2009

No./1710/F-14/48/2007/14-2.—In exercise of the powers conferred by Clause (a) of sub-section (2) of Section 5 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government, hereby declares that with effect from the date of its publication in the Official Gazette, the following places including any structure, enclosures, open place or locality shall be sub-market yard in the market area of market yard Ambikapur, District Sarguja namely :—

PLACE

An area of about 2.88 Hector land of revenu, Plot No. 120/1 at village Mendrakala (Ambikapur) in Ambikapur Tahsil of Surguja District.

Bounded

On the North by	-	House of Shri Dhaniram.
On the South by	-	Canal of Irrigation Department.
On the East by	-	Government Land.
On the West by	-	Murdhwapara, Village of Mendrakala.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Deputy Secretary.

कृषि (पशुपालन) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मई 2009

क्रमांक एफ 8-105/35/पचिप/2009.—राज्य शासन, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् नियम, 2005 भाग-दो, नियम-तीन के उपनियम (1) के अनुसरण में, उक्त नियमों में विहित प्रावधान के अनुसार, भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 52) की धारा 32 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा परिषद् के लिए छत्तीसगढ़ राज्य पशु चिकित्सा रजिस्टर में शामिल व्यक्तियों से अपने बीच में से सदस्यों का चुनाव करने का आव्हान करता है.

No. F 8-105/35/VCI/2009.—In pursuance of Sub Rule (1) of Rule 3 of the Chhattisgarh State Veterinary Council Rules, 1993 the State Government (Chhattisgarh) hereby calls upon the persons enrolled in the Chhattisgarh State Veterinary Register to elect members from among themselves for the Chhattisgarh State Veterinary Council under clause (a) of sub-section (1) of section 32 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (No. 52 of 1984) in accordance with the provisions of the said rules.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवध बिहारी, सचिव.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 मई 2009

क्रमांक एफ 8-6/2007/11/(6).—इंडियन बायलर्स एक्ट, 1923 की धारा 34 (2) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल कोरबा के बॉयलरों के नीचे दर्शाए अनुसार निम्नलिखित शर्तों पर उक्त अधिनियम की धारा 6 (सी) के उपबंधनों के प्रवर्तन से छूट प्रदान करता है :—

क्र.	बॉयलर क्रमांक	छूट की अवधि
1.	एम. पी./3434	दिनांक 19-07-2009 से 31-08-2009
2.	एम. पी./4297	दिनांक 21-06-2009 से 31-08-2009
3.	मेकर क्र. 0359	दिनांक 05-06-2009 से 31-07-2009
4.	एम. पी./3555	दिनांक 11-08-2009 से 31-10-2009
5.	एम. पी./3656	दिनांक 11-09-2009 से 31-10-2009
6.	मेकर क्र./0358	दिनांक 07-05-2009 से 31-07-2009

(1) संदर्भाधीन बायलर को पहुंचने वाली किसी भी हानि की सूचना भारतीय बायलर अधिनियम, 1923 की धारा 18 (1) की अपेक्षानुसार तत्काल बायलर निरीक्षक/मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ को दी जावेगी एवं दुर्घटना होने के दिनांक से छूट की मान्यता समाप्त समझी जावेगी.

(2) उक्त अधिनियम की धारा 12 तथा 13 की अपेक्षानुसार मुख्य निरीक्षक, वाष्पयंत्र, छत्तीसगढ़ के पूर्वानुमोदन के बिना संदर्भाधीन बायलर में किसी प्रकार का संरचनात्मक परिवर्तन अथवा नवीनीकरण नहीं किया जावेगा.

(3) संदर्भाधीन बायलर का सरसरी दृष्टि से निरीक्षण किये जाने पर यदि वह खतरनाक स्थिति में पाया गया तो यह छूट समाप्त हो जावेगी.

(4) नियतकालीन सफाई और नियमित रूप से गैस निकालने (रेगुलर ब्लोडाउन) का कार्य किया जावेगा और उसका अभिलेख रखा जावेगा.

(5) छत्तीसगढ़ बायलर निरीक्षण नियम, 1966 के नियम 6 की अपेक्षानुसार संदर्भाधीन बायलर के संबंध में वार्षिक निरीक्षण शुल्क देय होने पर अग्रिम दी जावेगी, एवं

(6) यदि राज्य शासन आवश्यक समझे तो प्रश्नांकित छूट में संशोधन कर सकता है अथवा उसे वापिस ले सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विनोद गुप्ता, विशेष सचिव.

लोक निर्माण विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मई 2009

क्रमांक 3058/एफ 2-1/2008/19/स्था-1.—छत्तीसगढ़ अभियांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 1969 के नियम 15 (5) के अनुसार "कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति के लिये कार्यपालन अभियंता के पद पर अर्हता सेवा अवधि 05 वर्ष का प्रावधान है."

2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा "कार्यपालन अभियंता से अधीक्षण अभियंता के पद पर पदोन्नति हेतु कार्यपालन अभियंता की न्यूनतम 05 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की अर्हता की शर्त को शिथिल करते हुए यह सेवा अवधि 04 वर्ष करता है."

3. यह शिथिलीकरण एक बार के लिये वर्ष 2009 में होने वाली डी. पी. सी. हेतु प्रभावशील होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. एस. दीक्षित, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 मई 2009

क्रमांक 3174/721/09/19/तकनीकी.—पथकर अधिनियम (1851 का सं. 8) और जैसा कि यह छत्तीसगढ़ राज्य में लागू है, की धारा 2 सहपठित धारा-4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ. 23/3/87/जी/19 भोपाल, दिनांक 02-05-1993 को अतिष्ठित करते हुए एतद्द्वारा धमतरी जिले में कुरूद-मेघा-मगरलोड मार्ग के कि. मी. 8/10 पर स्थित गाड़ाडीह नाला पुल पर पथकर की वसूली दिनांक 15-06-2009 से प्रतिसंहरित करती है.

No. 3174/721/09/19/Tech.—In exercise of the powers conferred by section 2 read with Section 4 of the Tolls Act (VIII of 1851) and it's application to the State of Chhattisgarh, the State Government in supersession of this department's notification No. F. 23/3/87/G/19, Bhopal, Dated 02-05-1993, hereby revokes, the levy of Toll on Gadadih nala located at 8/10 km. of Kurud-Megha-Magarload Road in Dhamtari District with effect from 15-06-2009.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. अग्रवाल, अतिरिक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 943/एफ 7-58/32/08.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 7-58/32/2008 दिनांक 13-2-2009 द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना में निम्नानुसार भूमि उपयोग उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

डोंगरगढ़ विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (हे. में)	अंगीकृत विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग	उपांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	डोंगरगढ़	267/2	2.031	श्मशान/कब्रिस्तान	आवासीय

सूचना में उल्लेखित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन अधिनियम की धारा 23-क की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा डोंगरगढ़ विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. इस प्रकार किया गया यह उपांतरण डोंगरगढ़ विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 946/एफ 7-53/32/08.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उपधारा (2) के अंतर्गत सूचना क्रमांक एफ 7-53/32/2008 दिनांक 01-10-2008 द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में निम्नानुसार भूमि उपयोग उपांतरण प्रस्तावित किया गया है, जिसकी सूचना दो स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित की गई थी.

राजनांदगांव विकास योजना के उपांतरण प्रस्ताव

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा	अंग्रीकृत विकास योजना के अनुसार भूमि का उपयोग	उपांतरण हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	राजनांदगांव (मोहल्ला-जमातपारा)	232/3	1.28 में से 0.52 (22500 वर्गफुट)	आमोद-प्रमोद	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

सूचना में उल्लेखित समयावधि के भीतर कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः राज्य शासन अधिनियम की धारा 23-क की उपधारा (2) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा राजनांदगांव विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. इस प्रकार किया गया यह उपांतरण राजनांदगांव विकास योजना का एकीकृत भाग होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव

जनसम्पर्क विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जून 2009

क्रमांक एफ 1-06/09/प.अधि.नि./चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 13 एवं 14 के अनुसार जिला स्तरीय अधिमान्यता के लिए निम्नानुसार संभागवार समितियां गठित करता है :—

संभागीय अधिमान्यता समिति रायपुर

01. श्री यशवंत धोटे, आउट लूक.
02. श्री अरूण उपाध्याय, पत्रकार, दैनिक नई दुनिया, रायपुर.
03. श्री रामअवतार तिवारी, संपादक, दैनिक छत्तीसगढ़ वाच, रायपुर.
04. श्री आलोक तिवारी, ब्यूरो चीफ, दैनिक हरिभूमि, भिलाई.
05. श्री सुनील गुप्ता, ब्यूरो चीफ, दैनिक चिन्तक, रायपुर.
06. श्री राजेन्द्र ठाकुर, ब्यूरो चीफ, दैनिक नवभारत दुर्ग.
07. श्री पतिराम जायसवाल, ब्यूरो चीफ, दैनिक देशबंधु, धमतरी
08. श्री समीर दीवान, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, भिलाई.

संभागीय अधिमान्यता समिति बस्तर (जगदलपुर)

01. श्री सुशील शर्मा, संपादक, सा. बस्तर बन्धु, कांकेर.
02. श्री राजेन्द्र तिवारी, ब्यूरो चीफ, पी. टी. आई. जगदलपुर.
03. श्री मनीष गुप्ता, ब्यूरो चीफ, दैनिक नवभारत, जगदलपुर.
04. श्री गोपाल शर्मा, ब्यूरो चीफ, दैनिक नवभारत, कांकेर.
05. श्री दिलशाद नियाजी, प्रधान संपादक, दैनिक हिन्दसत, जगदलपुर.
06. श्री सुरेश महापात्र, प्रधान संपादक, दैनिक बस्तर इम्पेक्ट, दंतेवाड़ा.
07. श्री नरेश कुशवाहा, ब्यूरो चीफ, दैनिक हरिभूमि, जगदलपुर
08. श्री वंशी लाल शर्मा, ब्यूरो चीफ, दैनिक भास्कर, कांकेर.

संभागीय अधिमान्यता समिति बिलासपुर

01. श्री प्रेमचंद जैन, संपादक, दैनिक कोरबा, बाल्को टाइम्स, कोरबा.
02. श्री रोशन अग्रवाल, संपादक, दैनिक जनकर्म, रायगढ़.
03. श्री नथमल शर्मा, प्रधान संपादक, दैनिक इवनिंग टाईम्स, बिलासपुर.
04. श्री राजीव द्विवेदी, पत्रकार, दैनिक भास्कर, बिलासपुर.
05. श्री बसंत गुप्ता, पत्रकार, दैनिक नवभारत, बिलासपुर.
06. श्री सुनील गुप्ता, पत्रकार, दैनिक नई दुनिया, बिलासपुर.
07. श्री सतीश जायसवाल, संपादक, दैनिक हाइवे चैनल, बिलासपुर.
08. श्री कौशल मिश्रा, पत्रकार, दैनिक हरिभूमि, बिलासपुर.

2. सभी संभागीय समिति में राज्य स्तरीय समिति के दो सदस्य भाग लेंगे. इन सभी संभाग स्तरीय समितियों के संयोजक, संचालक जनसंपर्क द्वारा अधिकृत अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक जनसंपर्क होंगे. इन समितियों का कार्यकाल दो वर्ष का होगा.

रायपुर, दिनांक 2 जून 2009

क्रमांक एफ 1-06/09/प.अधि.नि./चौबीस.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ समाचार पत्र प्रतिनिधि अधिमान्यता नियम 2001 के नियम 4 के अनुसार राज्य स्तरीय अधिमान्यता समिति के लिए निम्नानुसार समिति गठित करता है :—

01. श्री श्याम बेताल, संपादक, नवभारत.
02. श्री अनिल विभाकर, संपादक, जनसत्ता.
03. श्री हिमांशु द्विवेदी, प्रधान संपादक, हरिभूमि.
04. श्री तुषारकांति बोस, प्रधान संपादक, दैनिक दंडकारण्य समाचार.
05. श्री जोसेफ पी. जान, विशेष संवाददाता, इंडियन एक्सप्रेस.
06. श्री रूचिर गर्ग, ब्यूरो प्रमुख, सहारा समय.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एन. जोशी, अवर सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 मार्च 2009

क्रमांक एफ 1-88/2007/10-1/वन.--भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ वन सेवा मुख्यालय तथा मैदानी में चतुर्थ श्रेणी की भर्ती की पद्धति तथा विस्तार को विनियमित करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम :—**

   (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ वन (मुख्यालय तथा मैदानी) चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2009 है.

   (2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **लागू होना :—** ये नियम, इन नियमों में संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे.

3. **वर्गीकरण तथा वेतनमान इत्यादि :—** सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा उससे संलग्न वेतनमान, भर्ती का तरीका, आयु सीमा और अन्य विषय अनुसूची के कॉलम (3) से (12) तथा अनुसूची-दो के कॉलम (4) से (7) में अन्तर्विष्ट उपबन्धों के अनुसार होंगे.

4. **आरक्षण :—**

   (1) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, सीधी भर्ती के पदों के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 के उपबंधों के अनुसार आरक्षण होगा.

   (2) **महिलाओं के लिए आरक्षण :—** महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (लोक सेवा एवं पदों में महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार होगा.

5. **व्यावृत्ति :—** इन नियमों में की गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों, ऐसे शासकीय कर्मचारी के, जिसकी मृत्यु सेवावधि के दौरान हुए हों के कुटुम्ब के किसी सदस्य को अनुकम्पा नियुक्ति, विकलांग व्यक्तियों तथा अन्य व्यक्तियों जो अन्य श्रेणियों से संबंधित हो, आरक्षण तथा शिथिलीकरण को प्रभावित नहीं करेंगे तथा राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किये जायेंगे.

6. **निरसन तथा व्यावृत्ति :—** इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं.

   परन्तु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई या किया गया समझा जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एस. धनंजय, संयुक्त सचिव.

अनुसूची

स.क्र.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	भर्ती का तरीका सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न तरीकों से भरे जाने वाले रिक्त पदें का प्रतिशत	आयु सीमा न्यूनतम/अधिकतम	विहित शैक्षणिक अर्हता	परिवीक्षा की कालावधि यदि कोई हो	सीधी भती हेतु विहित आयु तथा शैक्षणिक अर्हता पदोन्नति के मामले में लागू होगी	भर्ती के मामले में पदोन्नति स्थानांतरण के पद से पदोन्नति या स्थानांतरण द्वारा की जायेगी	सीधी भर्ती तथा पदोन्नति के लिये चयन समिति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	सुपरवाईजर (मुख्यालय)	02	मुख्यालय	3050-75-3950 -80-4590	100 % पदोन्नति द्वारा	-	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम 7 से 9	5 वर्ष की लगातार सेवा	1. मुख्यालय में पदों के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वि.प.सं. (डी.पी.सी.) के गठन हेतु निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारी नामांकित करेंगे :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-1 मुख्य वन संरक्षक-1 वन संरक्षक-2
2.	दफ्तरी (मुख्यालय)	04	मुख्यालय	2610-60-3150 -65-3540	100 % पदोन्नति द्वारा	-	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम 7 से 9	5 वर्ष की लगातार सेवा	1. मुख्यालय में पदों के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वि.प.सं. (डी.पी.सी.) के गठन हेतु निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारी नामांकित करेंगे :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-1 मुख्य वन संरक्षक-1 वन संरक्षक-2

3.	जमादार	02	मुख्यालय	2610-60-3150 -65-3540	100 % पदोन्नति द्वारा	-	8वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम 7 से 9	5 वर्ष की लगातार सेवा	1. मुख्यालय में पदों के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वि.प.सं. (डी.पी.सी.) के गठन हेतु निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारी नामांकित करेंगे :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-1 मुख्य वन संरक्षक-1 वन संरक्षक-2
4.	भृत्य मुख्यालय फील्ड ऑफिसर	25 430	मुख्यालय/ मैदानी	2550-55-2660 -60-3200	100 % पदोन्नति द्वारा	18 से 35	5वीं उत्तीर्ण	2 वर्ष	कॉलम 7 से 9	5 वर्ष की लगातार सेवा	1. मुख्यालय में पदों के लिए प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वि.प.सं. (डी.पी.सी.) के गठन हेतु निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारी नामांकित करेंगे :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक-1 मुख्य वन संरक्षक-1 वन संरक्षक-2 2. वृत्त स्तरीय हेतु पदोन्नति, वन सरंक्षक, वि.प.स. (डी.पी.सी.) के गठन हेतु निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारी नामांकित करेंगे :- डी.एफ.ओ.-2 एस.डी.ओ.-1
5.	ट्रक एवं ट्रेक्टर क्लीनर	35	मैदानी	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	-तदैव-	1. वृत्त स्तरीय हेतु पदोन्नति, वन सरंक्षक, वि.प.स. (डी.पी.सी.) के गठन हेतु निम्नानुसार राजपत्रित अधिकारी नामांकित करेंगे :- डी.एफ.ओ.-2 एस.डी.ओ.-1 मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/ डी.एफ.ओ./एस.डी.ओ.

Raipur, the 24th March 2009

No. F-1-88/2007/10-1/F.— In exercise of the powers conferred by the Proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules to regulate the method and scope of recruitment to the Class-IV service in Chhattisgarh Forest, Headquarters and Field, namely :—

RULE

1. **Short Title :—**

   (1) These rule may called Chhattisgarh Forest (Headquarters and Field) Class-IV Service Recruitment Rules, 2009.

   (2) It shall come in to force with effect from the date of its publication in the "Official Gazette".

2. **Application :—** This rule shall apply to the posts specified in column (2) of the Schedule appended to these rules.

3. **Classification and Scale of Pay etc :—** The Classification of Service, the Number of Posts included in the service and the scales of pay attached thereto, method of recruitment, age limit and other matters shall be in accordance with provision contained in column (3) to (12) of Schedule and in column (4) to (7) of Schedule-II and III.

4. **Reservation :—**

   (1) Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes. Reservation for the posts of direct recruitment shall be made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Public Service (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Other Backward Classes) Act,1994.

   (2) Reservation for women,— Reservation for women candidates shall be made in accordance with the provision of the Chhattisgarh Civil Service (special provision of Appointment of Women in public Service and posts) Rules, 1997.

5. **Saving .**— Nothing in these rules shall effect reservation and relaxation provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Other Backward Classes for Ex-serviceman compassionatory appointment to the one member of the family of the Government employees, who dies during service period handicapped persons and other persons belonging to other categories and shall be regulated in accordance with the orders issued by the State Government from time to time in this regard.

6. **Repeal and Saving :—** All rules corresponding to these rules and in force immediately before the commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules :

   Provided that any order made or any action taken under rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
G. S. DHANANJAY, Joint Secretary.

SCHEDULE

FOR DERECT RECRUITMENT

S.No.	Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Method of recruitment percentage of vacant posts to be filled by direct recruitment or by promotion or by transfer and by different methods.	Age limit/ minimu/ maximum	Prescribed Educational qualification	Period of probation Trial if any.	Whether in the case of promotion prescribed limit age and educational qualification to the direct recruitment will be apply.	In case of recruitmen t by promotion or transfer post from with promotion transfer will be made.	Selection committee for direct recruitment and promotion
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Supervisor (Head Office)	02	Head Office	3050-75-3950-80-4590	100% by Promotion	-	8th Pass	2 Year	Column No 7 to 9	5 Years continuous service.	1- For the Promotion at Head Quarter Principal Chief Conservator will nominate the Gazetted Officers to constitute the D.P.C. as under:- Additional Principal Chief Conservator of Forest-1, Chief Conservator of Forest-1, Conservator of Forest-2
2.	Daftaries (Head Office)	04	Head Office	2610-60-3150-65-3540	11% by Promotion	-	8th Pass	2Year	Columu No.7 to 9	5 Years contiunuous service	1- For the Promotion at Head Quarter Principal Chief Conservator will nominate the Gazetted Officers to constitute the D.P.C. as under:- Additional Principal Chief Conservator of Forest-1, Chief Conservator of Forest-1, Conservator of Forest-2

3.	**Jamadar**	02	Head Office	2610-60-3150-65-3540	100% by Promotion	-	8th Pass	2 Year	Column No.7 to 9	5 Years Continuous service.	1- For the Promotion at Head Quarter Principal Chief Conservator will nominate the Gazetted Officers to constitute the D.P.C. as under:- Additional Principal Chief Conservator of Forest-1, Chief Conservator of Forest-1, Conservator of Forest-2
4.	**Peon Head Offices, Field Offices**	25 430	Head Office/ Field	2550-55-2660-60-3200	100% by Direct Recruitment	18 to 35	5th Pass	2 Year	Columu No. 7 to 9	5 Years Continuous service.	1- For the Promotion at Head Quarter Principal Chief Conservator will nominate the Gazetted Officers to constitute the D.P.C. as under:- Additional Principal Chief Conservator of Forest-1, Chief Conservator of Forest-1, Conservator of Forest-2 **2.** For Circle Level Promotion the Conservator will nominate the Gazetted Officers to Constitute the D.P.C. as under:- D.F.O.-2 S.D.O.:-1
5.	**Truck and Tractor Cleaner**	35	Field	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	-do-	2. For Circle Level Promotion the Conservator will nominate the Gazetted Officers to Constitute the D.P.C. as under:- D.F.O.-2 S.D.O.:-1 Chief Conservator of Forest/Conservator of Forest/D.F.O./S.D.O.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2009

क्रमांक/क/वा./अ.वि.अ./भू-अर्जन/2009/509.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चांपा	5.562	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा (छ. ग.)	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि. चाम्पा द्वारा रेल लाईन हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 28 मई 2009

क्रमांक/क/वा./अ.वि.अ./भू-अर्जन/2009/512.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	चांपा	चांपा प. ह. नं. 4	11.391	महाप्रबंधक जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र चांपा (छ. ग.)	प्रकाश इण्डस्ट्रीज लि. चाम्पा द्वारा संयंत्र के विस्तार परियोजना हेतु भूमि का अर्जन.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
टी. सी. महावर, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 10/अ-82/08-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	खमतराई	0.10	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	अशोकनगर से आशाबंद मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 29 मई 2009

क्रमांक 11/अ-82/08-09/सा-1/सात.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिलासपुर	बिरकोना	0.88	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) संभाग क्र. 1, बिलासपुर.	अशोकनगर से आशाबंद मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व), बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/01/अ-82/2006-07.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयें सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	कोण्डागांव	कमेला प. ह. नं. 27	0.729	कार्यपालन अभियंता, टी.डी.पी.पी., जल संसाधन विभाग, जगदलपुर.	कोसारटेडा मध्यम सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी, कोण्डागांव अथवा कार्यपालन अभियंता टी.डी.पी.पी. जल संसाधन विभाग जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/17/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	गुनपुर प. ह. नं. 23	0.124	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.) जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/18/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	चमिया प. ह. नं. 24	0.512	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (चमिया मार्ग) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/19/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	छोटे आमाबाल प. ह. नं. 24	0.572	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत छोटे आमाबाल मार्ग हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/20/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	कुरूषपाल प. ह. नं. 22	0.124	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/21/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	घोटिया प. ह. नं. 27	0.201	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/23/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है., अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	पूर्वी टेमरा प. ह. नं. 22	0.032	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/24/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	मुण्डागांव प. ह. नं. 24	0.128	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना मुण्डागांव सड़क हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/25/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	नारायणपाल प. ह. नं. 22	0.020	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/26/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	बड़ेआमाबाल प. ह. नं. 25	0.480	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/27/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सोनारपाल प. ह. नं. 27	0.284	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत (सोनारपाल मार्ग) हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/28/अ-82/2007-08.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सिवनी प. ह. नं. 24	0.180	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (सिवनी मार्ग).

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/29/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	सुधापाल प. ह. नं. 22	0.080	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत सड़क निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 18 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/30/अ-82/2007-2008.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (1) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बस्तर	बस्तर	देवड़ा प. ह. नं. 27	0.376	कार्यपालन अभियंता सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.यो.), जगदलपुर.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (देवड़ा मार्ग)

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)/भू-अर्जन अधिकारी बस्तर एवं कार्यपालन अभियंता, सह सदस्य सचिव परियोजना क्रियान्वयन इकाई (प्र.मं.ग्रा.स.यो.), जगदलपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरिया, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूचो के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	डोडकी	0.03	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	नागपुर	0.05	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	लाई	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	श्रीपुर	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	खरला	0.07	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केल्हारी	0.13	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चनवारीडाड़	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चरवाही	0.03	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	तेन्दूडाड़	0.08	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मुसरा	0.06	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बाही	0.02	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पुटाडाड़	0.02	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केलुवा	0.04	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	हंसपुर	0.04	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	नवापारा	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मटुकपुर	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पढेवा	0.05	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	गिद्धडाड़	0.50	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	छिपछिपी	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमाक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	रोकड़ा	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिछियाटोला	0.03	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	लोहारी	0.02	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	कछौड़	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	चिरईपानी	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	मुड़धोवा	0.02	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	भौता	0.04	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	नवाडीह	0.03	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	सोनहरी	0.05	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	अमृतधारा	0.03	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अजन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बिहारपुर	0.06	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	डुगला	0.05	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	केवटी	0.18	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	विरौरीडाड़	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	बुढुआडाड़	0.02	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	खोंगापानी	0.36	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	पुरानीलेदरी	0.05	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	आमादमक	0.01	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कोरिया, दिनांक 31 दिसम्बर 2008

क्रमांक/12880/भू-अर्जन/2008.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कोरिया	मनेन्द्रगढ़	डिहूली	0.04	तहसीलदार, मनेन्द्रगढ़	दीनदयाल आवास योजना हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा), मनेन्द्रगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

दुर्ग, दिनांक 4 मई 2009

क्रमांक/567/प्र. 1/अ.वि.अ./09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
दुर्ग	बेरला	कुसमी प. ह. नं. 27	0.10	कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल जल संसाधन संभाग, दुर्ग (छ. ग.)	आनंदगांव जलाशय के अंतर्गत नहर में भू-अर्जन बाबत्.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, साजा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 4/अ 82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	सिसदेवरी प. ह. नं. 14	855/2	0.078	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			909/2	0.605		
			900/4	0.150		
			856	0.302		
			809	0.101		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			844/3	0.032		
			867/1	0.190		
			986/1	0.160		
		योग	8	1.618		

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 5/अ 82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	सुन्द्रावन प. ह. नं. 13	1184/59	0.070	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			1184/43	0.101		
			1158/3	0.028		
			1158/4	0.061		
			1158/2	0.032		
			1167/3	0.109		
			1184/68	0.122		
		योग	7	0.523		

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 6/अ 82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	वटगन प. ह. नं. 19	355/3	0.202	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			842/1	0.208		
			888/6	0.148		
			851/5	0.076		
			851/6	0.625		
			859/3	0.202		
			858/19 859/6	0.088		
			849/4	0.104		
			858/18 849/19	0.224		
			877/3	0.186		
		योग	12	2.063		

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 7/अ 82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	बोहारडीह प. ह. नं. 15	211/6	0.045	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			373/3	0.093		
		योग		**0.138**		

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 8/अ 82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	कुंची प. ह. नं. 15	81/3	0.161	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
		योग		**0.161**		

रायपुर, दिनांक 25 अप्रैल 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/प्र. क्र. 9/अ 82 वर्ष 08-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	पलारी	तेलासी प. ह. नं. 16	870/24	0.243	कार्यपालन अभियंता, महानदी जलाशय परियोजना, द्वितीय चरण कार्य संभाग, रायपुर.	राजीव (समोदा-निसदा) व्यपवर्तन योजना के द्वितीय चरण के अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.
			1440	0.162		
			1595/16	0.138		
			2114/3	0.105		
			411/7	0.081		
		योग		0.729		

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

प्र. क्र. 24/अ/82 वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	बिलाईगढ़	सलिहा प. ह. नं. 9	2/3 झ 340/10	0.595	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (स. भ.), बलोदाबाजार.	बसना, बम्हनी, बिलाईगढ़ मार्ग निर्माण कार्य हेतु.
			339/1 क/5	0.404		
		योग	2	0.999		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/31/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम-मालगॉव
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.16 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	782, 798	0.16
योग		0.16

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-आसना से बजावण्ड सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जगदलपुर, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक क/भू-अर्जन/32/अ-82/2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-बकावण्ड
- (ग) नगर/ग्राम-उलनार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.52 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1864	0.02
	1861	0.11
	1860	0.04
	1592	0.12
	1595	0.03
	1391	0.02
	1392	0.01
	1379	0.02
	1346	0.02
	1313	0.02
	1311	0.01
	1318/1	0.02
	1318/2	0.02
	2116	0.02
	2226	0.04
योग	15	0.52

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-आसना से बजावण्ड सड़क निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, बस्तर अथवा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), जगदलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. परस्ते, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 18 मार्च 2009

क्रमांक/क/अ.वि.अ./भू-अर्जन/प्र. क्र. 02/अ-82/वर्ष 2008-09.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-रसलोनी, प. ह. नं. 28
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-7.972 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
918/3	0.080
942	0.040
856/3	0.049
934	0.081
769/3	0.112
929/1	0.012
764/3	0.110
783/1	0.089
931	0.202
936	0.025
937/2	0.040
937/3	0.020
769/2	0.123
853, 854/2, 855	0.965
599/3	0.405
932	0.101
763/1	0.020
763/2	0.057
766	0.061
783/3	0.057
935	0.085
869/1	0.045
920	0.138
787/2	0.020
857/1	0.004
919	0.040
784/1	0.085
927	0.016
779	0.048
780	0.048
768	0.112
771	0.335
772/3	0.140
928/1	0.101
933	0.097
870	0.012
924	0.020
861	0.052
944	0.060
945/1	0.202
946/1	0.142
922	0.101
862	0.053
864	0.061
865	0.020
921	0.036
786	0.452
770	0.162
787/1	0.190
856/1	0.053
856/2	0.053
930	0.117
937/1	0.004
599/2	0.638
599/4	0.085
863	0.105
599/1, 614	0.711
784/1	0.085
782/3	0.032
769/1	0.080
783/2	0.121

(1)	(2)
857/2, 850/1, 851/1, 852/1, 945, 946/1-2, 947, 971/1	0.324
योग 62	7.972

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- राजीव समोदा निसदा व्यपवर्तन योजना द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2009

भू-अर्जन प्र. क्र. 02 अ/82 वर्ष 2007-08.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-कसडोल
- (ग) नगर/ग्राम-बरपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.361 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
24/1, 26	0.061
36	0.241
140/1	0.008
25/2	0.044
24/7	0.024
24/4	0.056
140/2	0.008
24/5, 24/6	0.041
140/3	0.008
29	0.193
144	0.063
28/5	0.049
143/2	0.049
35/1 ख, 35/1 ग, 35/3 ख	0.224
35/1 घ	0.136
80, 81	0.481
82/2	0.016
137/3	0.008
137/2	0.008
138/3, 137/5	0.016
137/4, 138/2	0.016
137/6, 138/4	0.021
76/3, 146/1	0.203
147/3	0.008
147/6, 147/4	0.008
147/5	0.008
148/5	0.069
180, 183	0.097
48, 49, 51, 59, 60, 62, 63	0.181
35/1 च, 35/2 ख	0.241
34/2	0.101
34/1, 217/13	0.193
35/2 फ	0.049
148/1	0.361
148/2	0.081
150/1, 153/1, 154/4	0.241
150/2, 153/2	0.141
148/7	0.049
148/6	0.049
149/1	0.008
152	0.008
182/2	0.008
182/1	0.016
147/2	0.028
154/5	0.184
185/3	0.008
148/5	0.065
76/6, 146/2	0.057
147/9	0.008
147/10	0.016
योग 50	4.361

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- सलिहा बिलारी मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बिलाईगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, कोरबा (छत्तीसगढ़)

कोरबा, दिनांक 25 मई 2009

क्रमांक 5117/अधीक्षक/2009.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2536/अधीक्षक/2009 दिनांक 06-03-2009 के अनुसार जिले में पदस्थ अपर कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर एवं डिप्टी कलेक्टर के मध्य किया गया कार्य विभाजन में आंशिक संशोधन किया जाता है.

01. **श्री पी. एल. निहालानी, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलादण्डाधिकारी**

1. नोडल अधिकारी, खाद्य शाखा
2. नोडल अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग
3. पासपोर्ट
4. लायसेंस
5. कटघोरा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
6. कटघोरा अनुभाग के अंतर्गत राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण
7. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी (शहरी क्षेत्र के लिए)

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

02. **श्री आर. एक्का, (रा. प्र. से.) अपर कलेक्टर**

1. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य)
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय)
3. डिप्टी कलेक्टरों/जिला अधिकारियों को छोड़कर शेष अन्य कर्मचारियों के अवकाश, वेतन वृद्धि तथा सामान्य भविष्य निधि से आंशिक अंतिम विकर्षण तथा अग्रिम स्वीकृति के प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित करना.
4. अपर कलेक्टर (नजूल)
5. नगर सेना
6. सांख्य लिपिक शाखा
7. वरिष्ठ लिपिक/अतिरिक्त वरिष्ठ लिपिक शाखा
8. कोरबा अनुभाग के भू-अर्जन/भूमि बंटन
9. कोरबा अनुभाग के अंतर्गत शहरी क्षेत्र को छोड़कर ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व अपील/पुनरीक्षण पर प्रकरणों का निराकरण.
10. नोडल अधिकारी, आदिमजाति कल्याण विभाग
11. नोडल अधिकारी, गृह निर्माण मंडल

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

03. **श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. भू-अभिलेख
2. व्यवहारवाद
3. राजस्व आंकिक
4. अल्प बचत
5. पर्यावरण शाखा
6. ***सूचना के अधिकार***

7. सहायक अधीक्षक (विविध)
8. मत्स्य कृषक विकास अभिकरण
9. जिला योजना एवं सांख्यिकी शाखा
10. स्वास्थ्य शाखा (कलेक्टर कार्यालय)
11. सहायक अधीक्षक (सामान्य)
    (पुरातत्व एवं पर्यटन, आरबीसी के प्रकरण, सोल्शियम फंड/संजीवनी)
12. अनुसूचित जाति/जनजाति विकास निगम
13. आपदा एवं राहत शाखा
14. भू-अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वासित किये जाने वाले प्रकरणों की जांच

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

04. **श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर**

प्रभारी अधिकारी

1. सिटी मजिस्ट्रेट
2. सत्कार अधिकारी
3. नजूल अधिकारी
4. भाड़ा नियंत्रक
5. वाचक कलेक्टर
6. वित्त एवं स्थापना
7. शिकायत/सतर्कता/विभागीय जांच
8. जनदर्शन/जनसम्पर्क
9. विशेष कक्ष

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

05. **सुश्री रेणुका श्रीवास्तव. डिप्टी कलेक्टर (परिवेक्षाधीन)**

प्रभारी अधिकारी

1. जिला नाजिर
2. प्रतिलिपि शाखा
3. प्रपत्र/लेखन सामग्री एवं मुद्रण
4. अभिलेख कोष्ठ राजस्व/आंग्ल
5. नोडल अधिकारी ब्रिक्स
6. आवक जावक
7. राजस्व मोहर्रिर
8. सहायक अधीक्षक (राजस्व)
9. स्वतंत्रता संग्राम सेनानी
10. दंगा पीड़ित 1984
11. कम्प्यूटर शाखा
12. नवोदय विद्यालय
13. सिटीजन हेल्प लाईन
14. जिला विकास शहरी अभिकरण
15. 20 सूत्रीय

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

06. **श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कोरबा**

01. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम 1950 के अन्तर्गत तहसील कोरबा एवं करतला का क्षतिपूर्ति भुगतान
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कोरबा एवं करतला के लिए).

02. **आपराधिक**

1. कोरबा एवं करतला तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कोरबा एवं करतला तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

03. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

07. **श्री एस. आर. कुर्रे, डिप्टी कलेक्टर/अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कटघोरा**

01. **राजस्व**

1. अनुविभागीय अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

2. स्वामित्व अधिकारी की समाप्ति अधिनियम, 1950 के अन्तर्गत तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा का क्षतिपूर्ति भुगतान.
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

3. पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अन्तर्गत प्रकरण
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

4. लोक परिसर बेदखली अधिनियम के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

5. रेंट कंट्रोल एक्ट के अन्तर्गत भाड़ा नियंत्रण अधिकारी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

6. ऋण मुक्ति अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरणों का निपटारा
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोडी उपरोड़ा के लिए)

7. असिस्टेंट कस्टोडियन ऑफ इवाहाक्यू प्रापर्टीज
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए)

8. नियमानुसार मुद्रांक शुल्क की वापसी
(तहसील कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा के लिए).

02. **आपराधिक**

1. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील के लिये अनुविभागीय अधिकारी/अनुविभागीय दण्डाधिकारी (धारा 133 एवं धारा 145 C.R.P.C.) प्रकरणों का निराकरण सहित.

2. कटघोरा, पाली एवं पोड़ी उपरोड़ा तहसील में शस्त्र अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत अनुसूची 2 के खाना क्रमांक 03 में दर्शाये अनुसार शस्त्र अनुज्ञप्ति क्रमांक तीन (सी) तीन (डी) एवं पांच की स्वीकृति एवं नवीनीकरण. उनके क्षेत्र के फसल संरक्षण अनुज्ञप्तियों की स्वीकृति एवं नवीनीकरण.

03. **विविध**

1. अपने अनुविभाग के विकास एवं कृषि योजनाओं का पर्यवेक्षण, जनसम्पर्क, स्थानीय विकास तथा आदिवासी विकास योजना के समस्त कार्यों का पर्यवेक्षण तथा बीस सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण.

2. रोस्टर के अनुसार तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, नायब तहसीलदार के न्यायालयों तथा अन्य कार्यालयों का निरीक्षण.

कलेक्टर द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य.

निम्न सारणी में वर्णित अधिकारियों के अवकाश अथवा कार्य से प्रवास में रहने की दशा में उनके नाम के सामने दर्शाये गये अधिकारी उनको आबंटित कार्य का निष्पादन करेंगे :—

क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	संयोजन अधिकारी (3)
1.	**श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर**	**श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर**
2.	**श्री आर. एक्का, अपर कलेक्टर**	**श्री पी. एल. निहालानी, अपर कलेक्टर**
3.	**श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर**	**श्री बी. पी. दुबे डिप्टी कलेक्टर**

(1)	(2)	(3)
4.	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर
5.	सुश्री रेणुका श्रीवास्तव, डिप्टी कलेक्टर	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर
6.	श्री आर. जी. साहू, संयुक्त कलेक्टर	श्री एस. आर. साहू, संयुक्त कलेक्टर
7.	श्री एस. आर. कुर्रे, अ. वि. अ. कटघोरा	श्री बी. पी. दुबे, डिप्टी कलेक्टर

अशोक अग्रवाल,
कलेक्टर.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 18th May 2009

No. 3806/JOTI/2nd Part Ind./2008 Batch/09.—The following newly appointed Civil Judges Class-II as specified in column No. (2) presently posted at the places specified in column No. (3) of the table below are directed to report in the Judicial Officer's Training Institute, (JOTI), High Court of Chhattisgarh, Bilaspur on 15-06-2009 by 4.00 P. M. for undergoing the Second Part of Institutional Training Programme to be held from 16th June, 2009 to 15th of July 2009.

TABLE

Sl. No. (1)	Name of Civil Judge Class-II (2)	Posted as & at (3)
1.	Ku. Radhika Saini	VI Civil Judge Class-II, Raipur
2.	Shri Manish Kumar Dubey	III Civil Judge Class-II, Durg
3.	Shri Shailendra Chauhan	III Civil Judge Class-II, Raigarh
4.	Shri Umesh Kumar Chauhan	II Civil Judge Class-II, Dhamtari
5.	Ku. Jyoti Agrawal	IV Civil Judge Class-II, Bilaspur
6.	Smt. Vibha Pandey	VIII Civil Judge Class-II, Raipur
7.	Smt. Kiran Thawait	IX Civil Judge Class-II, Raipur
8.	Ku. Deepa Katare	X Civil Judge Class-II, Raipur
9.	Shri Shailesh Sharma	Civil Judge Class-II, Kawardha
10.	Shri Santanu Kumar Deshlahare	I Civil Judge Class-II, Janjgir
11.	Shri Abhishek Sharma	IV Civil Judge Class-II, Durg
12.	Ku. Anju Gupta	VI Civil Judge Class-II, Bilaspur
13.	Shri Anand Prakash Dixit	Civil Judge Class-II, Baloda Bazar, District-Raipur
14.	Ku. Uadai Laxmi Parmar	VIII Civil Judge Class-II, Bilaspur
15.	Ku. Chhaya Singh Baghel	VII Civil Judge Class-II, Durg
16.	Shri Vikram Pratap Chandra	Civil Judge Class-II, Jashpurnagar
17.	Shri Vinay Kumar Pradhan	Civil Judge Class-II, Khairagarh, District-Rajnandgaon
18.	Shri Balram Kumar Dewangan	II Civil Judge Class-II, Dantewara
19.	Shri Jagmohan Shankar Patel	Civil Judge Class-II Bhanupratappur District-Uttar Bastar (Kanker).

(1)	(2)	(3)
20.	Shri Ganesh Ram Patel	Civil Judge Class-II Pratappur, District-Surguja (Ambikapur).
21.	Ku. Pusplata Markande	II Civil Judge Class-II, Bemetara, District-Durg
22.	Shri Krishna Kumar Suryavanshi	Civil Judge Class-II, Gariyaband, District-Raipur
23.	Ku. Chitra Lekha Sonwani	Civil Judge Class-II Sakti, District-Janjgir-Champa
24.	Shri Bhupendra Kumar Vasnikar	XI Civil Judge Class-II, Raipur
25.	Shri Krishna Kant Bhardwaj	Civil Judge Class-II, Manendragarh, District-Koriya (Baikunthpur).

The abovementioned Trainee Judges are also directed to observe the dress code with tie instead of band prescribed by the High Court during the training and to bring with them the following books :—

(A) Code of Civil Procedure
(B) Code of Criminal Procedure
(C) Evidence Act
(D) Limitation Act
(E) Indian Penal Code
(F) Rules & Orders-Civil & Criminal
(G) Stamp & Court Fees Act
(H) Arms Act
(I) C. G. Excise Act
(J) Legal Services Authority Act, 1987 (With C. G. Rules)

By order of the Hon'ble High Court,
ARVIND KUMAR SHRIVASTAVA, Registrar General.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक 78/दो-2-15/2002.—श्री अशोक कुमार पण्डा, तत्कालीन एडीशनल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़, बिलासपुर वर्तमान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग को उनके आवेदन पत्र दिनांक 26-03-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2001 से 31-10-2003 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस तथा अगले दो वर्ष की खण्ड अवधि दिनांक 01-11-2003 से 31-10-2005 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस के अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2003 तथा दिनांक 31-10-2005 से प्रदान की जाती है.

बिलासपुर, दिनांक 15 मई 2009

क्रमांक 79/दो-3-16/2003.—श्री अनिल कुमार शुक्ला, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द को उनके आवेदन पत्र दिनांक 02-04-2009 के आधार पर दो वर्ष की खण्ड अवधि अर्थात दिनांक 01-11-2005 से 31-10-2007 में उनके अवकाश खाता में शेष अर्जित अवकाश में से 30 दिवस का अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति छत्तीसगढ़ शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, रायपुर के आदेश क्रमांक 13040/21-ब/छ. ग./06, दिनांक 31-10-2006 के आलोक में दिनांक 31-10-2007 से प्रदान की जाती है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
ए. एल. खुटेल, बजट अधिकारी.